भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3550

बुधवार, 22 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-कॉमर्स प्लेटफार्म

3550. श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथराव मुंडे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर सृजित आंकड़ों के स्वामित्व, पहुंच, भंडारण, उपयोग और साझाकरण को नियंत्रित करने वाली नीतियों और नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर सृजित आंकड़ों के उपयोग और साझाकरण के संबंध में कोई दिशा-निर्देश बनाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ई-कॉमर्स में साइबर हमलों और तकनीकी विफलताओं के मुद्दों से निपटने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों, भुगतान गेटवे, भुगतान एग्रीगेटरों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा की गई आवधिक साइबर सुरक्षा संपरीक्षाओं की संख्या कितनी है:

(ङ) क्या सरकार ने यूपीआई लेन-देन में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को पुनः लागू करने और भुगतान सेवाप्रदाता (पीएसपी) की संरचना के संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श किया है; और

(च) यदि हां, तो विशेषकर ओडिशा में संवेदनशील वित्तीय आंकड़ों को साझा करने के संबंध में ग्राहक जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने, आईटी अधिनियम की धारा 43क के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना) नियम, 2011 के जरिए उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं तथा संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा या सूचना को निर्धारित किया है।

(ग): सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43 और धारा 66 साइबर हमलों के लिए पेनल्टी और दंड के संबंध में कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करती है। इसके अलावा, भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है, जो

साइबर घटनाओं से संबंधित सूचना के संग्रह, विश्लेषण और प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी है तथा ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आपातकालीन उपाय करती है।

(घ) : इस संबंध में केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) : आरबीआई ने यूपीआई सहित भुगतान प्रणालियों में लगाए गए शुल्कों के विभिन्न आयामों पर विचार और दृष्टिकोण जानने के लिए आम-जनता और हितधारक फीडबैक के लिए भुगतान प्रणाली में प्रभार संबंधी एक चर्चा पत्र तैयार किया था। आरबीआई को विभिन्न हितधारकों से व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

(च) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीई(ए)डब्ल्यूएआरई (अंग्रेजी और हिंदी) तथा राजू और चालीस चोर पर एक पुस्तिका जारी की गई है जो धोखाधड़ी के तौर-तरीकों को कवर करती है जिसमें धोखेबाजों द्वारा बिछाए जाल में फंसने से बचने/उससे बचाव के तरीके बताए गए हैं तथा इसे आम जनता और आरबीआई की विनियमित संस्थाओं (आरई) के सदस्यों द्वारा उपयोग के लिए अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इन्हें आरबीआई लोकपाल के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी वितरित किया जाता है।

*****